रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 138] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 15, 2013/फाल्गुन 24, 1934
No. 138] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 15, 2013/PHALGUNA 24, 1934

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2013

सा.का.नि. 173(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 266क, धारा 266ख, धारा 266ग और धारा 266ङ के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (निदेशक पहचान संख्या) नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निदेशक पहचान संख्या) संशोधन नियम, 2013 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. कंपनी (निदेशक पहचान संख्या) नियम, 2006 में नियम 7 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**8. निदेशक पहचान संख्या को रद्द या निष्क्रिय करना**--केंद्रीय सरकार या प्रादेशिक निदेशक (उत्तरी क्षेत्र), नोएडा या प्रादेशिक निदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी का निदेशक पहचान संख्या को रद्द या निष्क्रिय करने के लिए किसी व्यक्ति से प्राप्त आवेदन के साथ संलग्न सबूत की विशिष्टियों के सत्यापन पर यह समाधान हो जाता है कि,--

(क) निदेशक पहचान संख्या अनुकृति है ;

(ख) निदेशक पहचान संख्या दोषपूर्ण रीति या कपटपूर्ण साधनों से अभिप्राप्त की गई है ;

(ग) संबंधित व्यष्टि की मृत्यु हो गई है ;

(घ) संबंधित व्यष्टि को सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया है ;

(ङ) यदि संबंधित व्यष्टि को दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया गया है ;

तब केंद्रीय सरकार या प्रादेशिक निदेशक (उत्तरी क्षेत्र), नोएडा या प्रादेशिक निदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आबंटित निदेशक पहचान संख्या को रद्द या निष्क्रिय कर दिया जाएगा :

परंतु खंड (ख) के अधीन निदेशक पहचान संख्या को रद्द या निष्क्रिय करने से पूर्व संबंधित व्यष्टि को सुने जाने का अवसर दिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण--खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए,--

(i) "दोषपूर्ण रीति" से बिना किन्हीं विधिक दस्तावेजों के अभिप्राप्त निदेशक पहचान संख्या अभिप्रेत है ;

(ii) "कपटपूर्ण साधन" से किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य प्राधिकारी, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार है, को प्रवंचित करने के लिए अविधिपूर्ण अभिप्राप्त निदेशक पहचान संख्या अभिप्रेत है ।

[फा. सं. 5/80/2012–सीएल वी]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 649(अ), तारीख 19 अक्तूबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित की गई थी :--

क्रम सं0	अधिसूचना सं0	अधिसूचना तारीख
1.	सा.का.नि. 14(अ)	09.01.2007
2.	सा.का.नि. 265(अ)	29.03.2007
3.	सा.का.नि. 849(अ)	15.10.2010
4.	सा.का.नि. 258(अ)	26.03.2011
5.	सा.का.नि. 427(अ)	02.06.2011
6.	सा.का.नि. 507(अ)	05.07.2011
7.	सा.का.नि. 395(अ)	28.05.2012
8.	सा.का.नि. 429(अ)	05.06.2012
9.	सा.का.नि. 929(अ)	24.12.2012
10.	सा.का.नि. 930(अ)	24.12.2012

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2013

G.S.R. 173(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of sub-section (1) of section 642 read with section 266A, 266B, 266D and 266E of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Directors Identification Number) Rules, 2006 namely: –

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Companies Directors Identification Number (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Directors Identification Number) Rules, 2006, after rule 7, the following rule shall be inserted, namely : -

8. Cancellation or Deactivation of DIN.- The Central Government or Regional Director (Northern Region), Noida or any officer authorised by the Regional Director, upon being satisfied on verification of particulars of proof attached with the application received from any person seeking cancellation or deactivation of DIN, in case -

(a) the DIN is found to be duplicate;

(b) the DIN was obtained by wrongful manner or fraudulent means;

(c) of the death of the concerned individual;

(d) the concerned individual has been declared as lunatic by the competent Court;

(e) if the concerned individual has been adjudicated an insolvent;

then the allotted DIN shall be cancelled or deactivated by the Central Government or Regional Director (NR), Noida or any other officer authorised by the Regional Director (NR):

Provided that before cancellation or deactivation of DIN under clause (b), an opportunity of being heard shall be given to the concerned individual.

[F. No. 5/80/2012-CL V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Explanation.- For the purposes of clause (b), (i) the term "wrongful manner" means if the DIN obtained without legally established documents.

(ii) the term "fraudulent means" means if the DIN obtained unlawfully to deceive any other person or any authority including the Central Government.

Note:– The principal notification was published in the Gazette of India vide number G.S.R. 649(E), dated the 19th October, 2006 and subsequently amended vide the following notifications:-

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	G.S.R. 14(E)	09-01-2007
2.	G.S.R. 265(E)	29-03-2007
3.	G.S.R. 849(E)	15-10-2010
4.	G.S.R. 258(E)	26-03-2011
5.	G.S.R. 427(E)	02-06-2011
6.	G.S.R. 507(E)	05-07-2011
7.	G.S.R. 395(E)	28-05-2012
8.	G.S.R. 429(E)	05-06-2012
9	G.S.R. 929 (E)	24.12.2012
10	G.S.R. 930(E)	24.12.2012

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.